मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक–22.01.2019 का कार्यवृत्त

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा –215(2) एवं 215(3) के अन्तर्गत परिवहन अनुभाग–3 के अधिसूचना संख्या–23/542/30–3–15–78एम/2014 दिनॉक 13.03.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद तथा जनपद स्तीरय सड़क सुरक्षा समिति के अतिरिक्त जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 22.01.2019 को मण्डलीय सड़क सुरक्षा की बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया :–

1– श्री राजेश पाण्डेय, पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली।
2– श्री ओ०पी० वर्मा, अपर जिलाधिकारी (नगर), बरेली।
3– श्री सुभाष गंगवार, पुलिस अधीक्षक(यातायात), बरेली।
4– डा० प्रमिला गौड़, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बरेली।
5– श्री सर्वेन्द सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
6– डा० अनिल कुमार गुप्ता, सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली।
7– श्री जय शंकर तिवारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली।
8– श्री पी०के० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, पी०डब्लू०डी०,बरेली।
9– श्री उदयवीर सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली।
10–श्री मनोज प्रसाद वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), शाहजहॉपुर।
11–श्री अमिताभ राय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पीलीभीत।
12–श्री सुहेल अहमद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बदायूँ।
13–श्रीमती तनुजा त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।
14–श्री एस०के० , मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।
15–श्री एस०एस० चौहान, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।
16–श्री एम०एस० रावत, क्षेत्राधिकारी, तिलहर शाहजहॉपुर।
17–श्री जसवन्त सिंह, डिप्टी इंस्पेक्टर, माध्यमिक शिक्षा, बरेली।
18–श्री ए०के० मिश्रा, यातायात उप निरीक्षक, पीलीभीत।
19–श्री पी०के० अग्रवाल, प्रतिनिधि दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कं०लि०, बरेली।
20–श्री विपिन कुमार, प्रतिनिधि यूनाईटिड इंडिया इन्श्योरेंस कं० लि०, बरेली।
21–श्री राम कृष्ण शुक्ला, जिलाध्यक्ष ट्रक यूनियन, बरेली।
22–श्री दिनेश मलिक, सचिव बस ऑपरेटर एसोसियेशन, बरेली।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। कुछ विभागों के नामित अधिकारियों के स्थान उनके प्रतिनिधि के रूप में अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित नामित अधिकारियों द्वारा ही भाग लिया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि अधिसूचना संख्या–23/542/30–3–15–78एम/2014 दिनांक 13.03.2015 में जनपदों के जिलाधिकारी, वरि०पुलिस अधीक्षक, पी०डब्लू०डी०, एन०एच०ए०आई०, एवं रोडवेज के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित नहीं है। इस संबंध में सचिव, मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति को निर्देशित किया गया कि अध्यक्ष महोदय के स्तर से परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया जाय।

1– <u>एजेण्ड बिन्दु–1</u> :– गत दिनांक–28.08.2018 को मण्डलीय सड़क सुरक्षा की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन की समीक्षा की गयी। सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल के चारों जनपदों में किसी भी रेलवे लाइन पर मानव रहित रेलवे फाटक नहीं पाया गया। जनपद बदायू के मनगॉव के समीप स्थित एक

रेलवे फाटक मानव रहित था, उसको भी मानव युक्त कर दिया गया है। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय संतुष्ट दिखें। मण्डल में सड़क सुरक्षा संबंधित प्रचार–प्रसार, निबन्ध प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रम का भी अध्यक्ष महोदय द्वारा अवलोकन किया गया।

2– <u>एजेण्डा बिन्दु –2</u> :– सचिव द्वारा बैठक में दुर्घटनाओं से संबंधित चारों जनपदों के ऑकड़े प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत ऑकड़ो के अनुसार मण्डल के अन्य जनपदों की अपेक्षा वर्ष 2018 में जनपद पीलीभीत में सबसे कम दुर्घटनाए हुई है तथा बदायूँ जनपद में सबसे अधिक दुर्घटनाएँ हुयी है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा चिन्ता व्यक्त किया गया। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि अग्रिम बैठक में दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विवरण जैसेः– दो पहिया वाहन से, चार पहिया वाहन से, रोडवेज के बसों से कारित हुयी दुर्घटना का अलग–अलग विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार बिना बिना हेलमेट एवं सीटबेल्ट, सड़क की खराब यान्त्रिक दशा (Faulty Road Engineering), चालक की लापरवाही, वाहन की यान्त्रिक दशा, मौसम इत्यादि से कारित होने वाली दुर्घटनाओं का अलग–अलग विवरण प्रस्तुत किया जाए। पुलिस एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) इस संबंध में सूचना एकत्रित कर अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, एन0एच0ए0आई0, यातायात विभाग एवं नगर निगम)

3– <u>एजेण्डा बिन्दु–3</u> :– जनपद में वर्ष में 6 बैठक एवं मण्डलीय स्तरीय सड़क सुरक्षा की 4 बैठक निर्धारित की गयी है परन्तु जनपद बरेली में वर्ष में कुल 3 बैठक, जनपद बदायूँ में कुल 4 बैठक, जनपद पीलीभीत में 4 बैठक एवं जनपद शाहजहाँपुर में कुल 3 बैठक करायी गयी तथा मण्डल स्तरीय वर्ष में 2 बैठक करायी गयी । अध्यक्ष महोदय असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि वर्ष में निर्धारित सभी बैठके नियमित रूप से करायी जाय।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग)

4– <u>एजेन्डा बिन्दु–4</u> :– में मण्डल में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गयी । जनपद बरेली में कुल 11 नये ब्लैक स्पॉट चयनित किये गये, जिनामें से 8 ब्लैक स्पाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जहाँ पर रोड का चौड़कीकरण होना है। एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि लगभग 5 मीटर सड़क चौड़ा कर दिया जाय एवं साइनेस बोर्ड एवं रम्बल स्पीड ब्रेकर बनवाया जाय। शेष 3 ब्लैक स्पॉट राज्य हाई वे पर स्थित है जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 द्वारा जल्द ही कार्य कराने का आश्वासन दिया गया है। जनपद बदायूँ में कुल 32 ब्लैक स्पॉट दर्शाये गये है जिसमें 18 ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य किये गये एवं शेष 14 ब्लैक स्पॉट पर कार्य प्रगति पर होना दर्शाया गया है। बदायूँ द्वारा दी गयी सूचना पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संदेह व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बदायूँ, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन से संपर्क कर सूची प्राप्त कर ली जाए। जनपद पीलीभीत में 15 अवशेष कार्यो पर रम्बल स्पीड एवं साइनेस बोर्ड तथा लिंक रोड पर ब्रेकर बनवाया जाय। यातायात निरीक्षक ने पीलीभीत ने अवगत कराया कि स्टेशन रोड पर सब्जी मण्डी व दुकानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण जाम स्थिति बनी रहती है। इस संदर्भ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) पीलीभीत को निर्देशित किया गया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस प्रकरण रखा जाए एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पीलीभीत के साथ विमर्श कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सभी कार्यो को तत्काल कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिया गया । जनपद शाहजहाँपुर में 2 ब्लेक स्पॉट पर कार्य अवशेष है जिसमें पुल का चौड़ीकरण होना है एवं साइनेस बोर्ड लगाया जाना अवशेष है, उसको कराने का निर्देश दिया गया । उक्त सभी कार्यो को पूर्ण कराकर आगामी बैठक में फोटो सहित प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया कि चौराहों पर सड़क के किनारे होर्डिंग लगे हो और सड़क के किनारे निष्प्रयोज्य टेलीफोन के खम्भे हो और जिससे यातायात बाधित हो रहा हो, उन्हें हटावा दिया जाय। इस कार्य को जनपद के सभी सहायक सम्भागीय

परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग एवं नगर निगम द्वारा तत्काल कराया जाय। महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ब्लैक स्पॉट्स से संबंधित एक व्हाट्स–अप ग्रुप बनाया जाये, जिसमें विभागों के अधिकारियों को जोड़ा जाए, जिससे ब्लैक स्पॉट से संबंधित सूचना तत्काल मिल सके।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग, एन0एच0ए0आई0 एवं पी0डब्लू0डी0) बरेली/बदायूँ/पीलीभीत/शाहजहाँपुर।

5– <u>एजेन्डा बिन्दु–5</u> :– में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत जनपद बरेली में 6 प्रकरण दिसम्बर 2018 तक अवशेष दर्शाया गया, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी में 4 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है वर्तमान में मात्र 2 प्रकरण अवशेष है जिस पर संबंधित अधिकारी को तत्काल निस्तारित करनें हेतु आदेशित कर दिया गया हे। जनपद बदायूँ में कूल 34 प्रकरण अवशेष दिखाया गया है जिसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अवशेष प्रकरणों की सूची प्रेषित करनें के निर्देश दिये गये। जनपद पीलीभीत में प्रकरण शून्य दर्शाये गये है। जनपद शाहजहाँपुर में 4 प्रकरण अवशेष है जिसको निस्तारित करनें का निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–जिला प्रशासन एवं बीमा कम्पनी)

6– <u>एजेन्डा बिन्दु–6</u> :– सार्वजनिक सेवायान से घटित दुर्घटनाओं में परिवहन विभाग द्वारा दिये जाने वाले सहायता राशि के लम्बित मामलों में जनपद बरेली में 5 प्रकरण लंबित है, पीलीभीत में 11 प्रकरण एवं शाहजहाँपुर में 32 प्रकरण लम्बित है । अध्यक्ष महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) अपने स्तर पर जिला प्रशासन से मिलकर प्रकरण को निस्तानित करने सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–जिला प्रशासन, परिवहन विभाग)

<u>7– एजेन्डा बिन्दु–7</u> अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नशे की हालत में ड्राइविंग करनें वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन/निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की जाए सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली ने अनुरोध किया कि पुलिस विभाग द्वारा नशे के अभियोग में किये गये चालानों को परिवहन विभाग को प्रेषित करें, जिससे चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निलंबित/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग और पुलिस विभाग)

8– अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए :–

1. बरेली जिले में संयुक्त निदेशक(माध्यमिक शिक्षा), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जाए। प्रत्येक स्कूल में एक --एक यातायात नोडल अधिकारी की नियुक्ति करवाना सुनिश्चित करें, जो बच्चों के उतरने एवं चढ़ते समय सभी वाहनों पर नजर रखेगा तथा जाम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बस को 10–10 मिनट के अन्तराल में छोड़ेगा। मण्डल के अन्य जनपदों में भी इसी तरह की व्यवस्था बनायी जाए। स्कूल प्रबन्धक अपने स्कूल में उसी बस को संबद्ध करें, जिसका अभिलेख मानक के अनुरूप हो।

2. बैठक यह अवगत कराया गया कि जनपद बरेली में सड़क के किनारे स्टेडियम रोड पर रेता, बजरी का कब्जा है, उसके लिए नगर निगम के अधिकारी द्वारा यातायात की दृष्टि से सुरक्षित स्थान चयनित कर वहाँ रेता बजरी इकट्ठा करने वाले व्यापरियों को शिफट करने हेतु निर्देशित करे तथा उनसे नियमानुसार शुल्क जमा करायें। इस

संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं नगर निगम संयुक्त रूप से एक बैठक कर बस पार्किंग हेतु स्थान चयनित कर लिया जाए और उस पर पार्किंग शुल्क निर्धारित किया जाए। उनके द्वारा नगर निगम को निर्देशित किया गया कि सैटेलाईट चौराह, चौपला चौराह एवं चौकी चौराह पर पोल/ होर्डिंग को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए तथा चौराहों पर कैट आई, जैब्रा कॉसिंग एवं डेली नेटर से वाहन को गुजरने का रास्ता बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दुर्घटनाओं को रोकनें के लिए हर संभव प्रयास किये जाने के निर्देशोपरान्त मण्डलीय सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक समाप्त की ।

सदस्य/सचिव 30·1·19
सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति, बरेली

अध्यक्ष/आयुक्त
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति
बरेली।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली

पत्रांक 119 /म0स0सु0स0बै0/2019

दिनांक: 08-02 ,2019

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0एवं आई0टी0) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, बरेली/बदायूँ/पीलीभीत/शाहजहाँपुर ।
5. वरि0पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर।
6. मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य/उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि गण।

सदस्य/सचिव
संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति